

# छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ मर्यादित, रायपुर

ग्राम—उरला पोस्ट बी.एम.वाय. चरोदा जिला दुर्ग(छ0ग0)

क्रमांक / 4775 / छगदुमस / यांत्रिकी / 2018—19,

उरला, दिनांक—17.10.2018

## ।।दुग्ध परिवहन हेतु अल्पकालिक निविदा सूचना।।

छ.ग. राज्य सह. दुग्ध महासंघ मर्यादित द्वारा अतिशेष दुग्ध परिवहन हेतु टैंकर क्षमता अनुसार प्रति कि.मी. की दर (अन्य शुल्क सहित) के आधार पर दुग्ध परिवहन की दरें आमंत्रित की जाती है। इच्छुक निविदाकार निविदा पत्र में जिसकी कीमत रू. 500.00 है, (जों वापसी योग्य नहीं है) कार्यालय से कार्यालयीन दिवस में क्रय कर अपनी दरें निर्धारित प्रपत्र के साथ धरोहर राशि रू. 30000.00 डी0डी0के माध्यम से जो छ.ग. राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ, रायपुर में देय हो के नाम से संलग्न करना अनिवार्य है। निविदा प्रपत्र दिनांक. 12.11.2018 दोपहर 3.00 बजे तक जमा कर सकते है। प्राप्त निविदाओं को इसी दिवस में अपरान्ह 4.00 बजे उपस्थित निविदाकारों के समक्ष खोला जावेगा। उक्त निविदा एवं शर्त का अवलोकन छ.ग. राज्य सह. दुग्ध महासंघ मर्या. के वेबसाइट [www.cgcoopdairyfed.in](http://www.cgcoopdairyfed.in) पर भी कर सकते है।

प्रबंध संचालक,

## दुग्ध परिवहन अल्पकालिक निविदा फार्म,

निविदाकार के नाम एवं फर्म,.....

स्थायी पता – .....

फर्म का रजिस्ट्रेशन नं.- .....

**GST No** – .....

मों. नं.- .....

धरोहर राशि..... **D.D. No** – ..... दिनांक.....

बैंक का नाम .....

दरें समस्त शुल्क सहित 10,000 ली. .... प्रति किमी.

15,000 ली. .... प्रति किमी.

20,000 ली. .... प्रति किमी

स्थान .....

दिनांक .....

हस्ताक्षर,

सील

## नियम एवं शर्ते

1. परिवहनकर्ता के पास आवश्यकता व समयानुसार एक से पांच मिल्क टैंकर उपलब्ध कराये जाने की व्यवस्था हो।
2. परिवहन फर्म के पास शासकीय संस्था के संतोषप्रद सेवा अनुभव हो।
3. परिवहन फर्म के पास स्वयं का मिल्क टैंकर होना आवश्यक है।
4. अच्छे मिल्क टैंकर एवं नवीनतम मॉडल को प्राथमिकता दी जायेगी।
5. परिवहन फर्म पंजीकृत होना आवश्यक है।
6. कार्य निर्धारित समयावधि में पूर्ण किया जाना आवश्यक है।
7. वाहन आवश्यकतानुसार (आंशिक या पूर्ण रूप से) दोनों साईड से लोड पर चलाना (परिवहन) होगा।
8. वाहन का रजिस्ट्रेशन, आर.टी.ओ. संबंधित कागजात (फिटनेस, टैक्स, इन्श्योरेन्स, परमिट आदि ) सही जीवित होना अनिवार्य है।
9. परिवहन के दौरान दुग्ध एवं दुग्ध पदार्थ की कोई भी हानि होने पर समस्त जिम्मेदारी परिवहनकर्ता की होगी।
10. ऑनलाईन निविदाकार के लिए धरोहर राशि के साथ रू. 500.00 का डी0डी0 अलग से जमा करना अनिवार्य होगा जो वापसी योग्य नहीं है।

प्रबंध संचालक

छ.ग.राज्य सह.दुग्ध महासंघ मर्यादित